—:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री जसपाल सिंह दहिया — प्रार्थी
2. श्री शैलेन्द्र बिश्नोई — अप्रार्थी संख्या 1 ता 3
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा — अप्रार्थी संख्या 3

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 29/4/26

अधिवक्ता प्रार्थीया श्री जसपाल सिंह दहिया द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि—

यह कि प्रार्थी का उक्त अनवान का दाव श्री मान जी के न्यायलय में पेश हो चुका है जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की पूर्ण आशा है। यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी न. 1 ता 3 एक ही हिन्दू खान दान के सदस्य हैं। प्रार्थी का अप्रार्थी न. 1 मनीराम पिता है व अप्रार्थी न. 2 व 3 प्रार्थी के भाई व अप्रार्थी न. 3 प्रार्थी की बहन है। जिन पर हिन्दू विधि लागू होती है।

यह कि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 4 एच डी पी 2073 से चालू का खाता सं. 61 का प. न. 4/258 मु.न. 31 कि.न. 31.228 (.025खाला), 41.228 (.025खाला), 5/.202 (.051खाला), 6.228 (.025खाला), 7,8/506, 12/21.025, 13/21.152 की 1.695 है, नहरी मय खाला व प. न. 3/259 मु.न, 37 कि.न.21.228 (.025रास्ता), 9, 12, 19, 22/1.012 की 1.265 है, नहरी मय रास्ता इस प्रकार कुल 2.960 है, नहरी मय खाला रास्ता कृषि भूमि अप्रार्थी न. 1 के नाम दर्ज राजस्व खातेदारी है। अवलोक नार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

यह कि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 4 एच डी पी की की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से चालू का खाता सं. 62 का प. न. 3/258 मु.न, 30 कि.न. 1 ता 25 की 6.325 है. प.न. 4/258 मु.न. 31 कि.न.1, 2, 9, 10, 11/228, 121.228 की 1.468 है. इसप्रकार कुल 7.793 है. नहरी मय गै. मु. खाला कृषि भूमि में से अप्रार्थी न. 1 के नाम 5.186 है. दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदारी है। अवलोक नार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

3

यह कि वाके तत्तकालीन तहसील सूरतगढ़ की मुताबिक राजस्व रिकार्ड (मिसल बन्दोबस्त) पत्ती मोती वगैरह मजकूरान मौजा हरदयालपुरा सम्वत् 2007 का खसरा न. 201 की 76 बीघा 6 बिस्वा कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी न. 2 ता 4 के दादा व अप्रार्थी न. 1 के पिता हरसुख पुत्र हुक्मा जाति बिशनोई साकिन लखासर के नाम दर्ज रजस्व रिकार्ड है।

यह कि वाके ग्राम हरदयालपुरा की गिरदावरी सम्वत् 2011 से चालू का खसरा न. 201 में 76 बीघा 6 बिस्वा कृषि भूमि में से प्रार्थी व अप्रार्थी न. 2 ता 4 के पिता यानि अप्रार्थी न. 1 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जो कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित कृषि भूमि 76 बीघा 6 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा मुझ प्रार्थी व अप्रार्थी न. 2 ता 4 के पिता अप्रार्थी न. 1 मनीराम को प्रार्थी के उक्त दादा हरसुख पुत्र हुकमा जाति बिशनोई साकिन लखासर की मृत्यू पश्चात उससे विरास्तन प्राप्त हुई है। जो कि वर वक्त मुरब्बा बन्दी व चक बन्दी होने पर यही 76 बीघा 6 बिस्वा कृषि भूमि का 1/3 हिस्सा ही मुझ प्रार्थी के पिता अप्रार्थी न. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हुई है। जो कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की दफा 3 व 4 में वर्णित है। जिससे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की दफा 3 व 4 में वर्णित अप्रार्थी न. 1 के नाम की कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी न. 1 ता 4 की पैतृक कृषि भूमि है। जिसमें से प्रार्थी व अप्रार्थी न. 1 ता 4 का मुताबिक हिन्दू विधि ब. हिस्सा बराबर बराबर का हक व हिस्सा बनता है। जिसका मालिक व खातेदार होने की घोषणा पाने का प्रार्थी हक दार है यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी न. 1 ता 4 का सजरा खान दान प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त सजरा खान दान के अनुसार अप्रार्थी न. 1 के प्रार्थी व अप्रार्थी न. 2 व 3 पुत्र व अप्रार्थी न. 4 पुत्री है।

यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की दफा 2 व 6 में वर्णित अनुसार अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर काब्ज काश्त चला आ रहा हैं। जबकि अप्रार्थी न. 1 ता 4 प्रार्थी से व्यक्तिगत रंजिश रखते हैं। जिन्होने प्रार्थी की उक्त खातेदारी कृषि भूमि को नाजायज रूप से जबरन रहन, बैय व अन्य तरीका से अन्तरण करने की प्रार्थी को धमकी दी है। जबकि अप्रार्थी को प्रार्थी के कब्जा काश्त की उक्त खातेदारी कृषि भूमि में किसी भी प्रकार से दखल अन्दाजी करने का व रहन, बैय व अन्य तरीका से अन्तरण करने के हकदार नहीं है। जिससे प्रार्थी अप्रार्थी के खिलाफ अस्थाई व्यादेश ता फैसला दावा पाने का हकदार है। कि अप्रार्थी उक्त कृषि भूमि को ता फैसला दावा रहन बैय व अन्य तरीका से अन्तरण नहीं करें व रिकार्ड व मौका की यथा स्थिति बनाये रखें। जबकि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थी व खिलाफ अप्रार्थी के निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे।

(क). कि अप्रार्थीगण के खिलाफ ता फैसला दावा अस्थाई निशेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि अप्रार्थीगण ता फैसला दावा वाके तहसील पीलीबंगा के चक 4 एच डी पी का प. न. 4/258 मु.न. 31 कि.न. 3 ता 8, 12/2/.025, 13/2/.152 की 1.695 है. नहरी मय खाला व प.न. 3/259 मु.न. 37 कि.न.2, 9,12,19,22/1.012 की 1.265 है. नहरी मय रास्ता इस प्रकार कुल 2.960 है. नहरी मय खाला रास्ता कृषि भूमि को व वाके तहसील पीलीबंगा के चक 4 एच डी पी का प. न. 3/258 मु.न. 30 कि.न. 1 ता 25 की 6.325 है. प.न. 4/258 मु.न. 31 कि. न. 1, 2, 9, 10, 11/.228, 12/228 की 1.468 है. इसप्रकार कुल 7.793 है. नहरी मय गै. मु. खाला कृषि भूमि में से अप्रार्थी न. 1 के नाम 5.186 है. कृषि भूमि को अप्रार्थी न. 1 ता 4 ता फैसला दावा रहन बैय व अन्य तरीका से अन्तरण नहीं करें व रिकार्ड व मौका की यथा स्थिति बनाये रखें। श्री मान जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली में अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। बाद तामिल नोटिस अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री शेलेन्द्र बिश्नोई हाजिर होकर वकालतनमा प्रस्तुत किया गया। बाद सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी सं0 4 व 6 न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी सं0 4 व 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 बंद किया जा चुका है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त वाद भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति होना जाहिर किया। वाद भूमि को खुर्द – बुर्द करने पर अमादा है। यदि अप्रार्थी सं0 1 ता 4 ऐसा करने पर कामयाब होता है तो प्रार्थी को नापूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पाबन्द किया जावें कि वे विवादित भूमि के रिकोर्ड व मौका की यथास्थिति बनायें रखे।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस पर मनन किया गया व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावजों का अवलोकन किया गया। भूमि मे अस्थाई निषेधाज्ञा व्यादे'ा चाहा है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति होना प्रतित होता है। प्रार्थी ने वाद भूमि में अपने हकों की घोषिणा हेतु न्यायालय हाजा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वाद प्रस्तुत किया है जो न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। प्रार्थी के हक हिस्सों का निर्धारण उक्त वाद में साक्ष्य सबूतों के लेखबद्ध होने के उपरातं ही होना है। यदि उक्त वाद भूमि को किसी भी प्रकार से अप्रार्थीगण खुर्द–बुर्द किया जाता है तो प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः वाद भूमि पैतृक संपति जाहिर होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने के कारण सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष मे होने पर वाद में प्रार्थी के हक–हिस्सों के तय होने तक वाद भूमि के रिकोर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखना न्यायालय के अभिमत में न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचानुसार व प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आरटी, स्वीकार योग्य हाने के कारण स्वीकार किया जाता है दिनांक 07.07.2017 को जारी अस्थाई निषेघाज्ञा ता दावा निस्तारण तक निरन्तर की जाती है।

निर्णय आज दिनाकं 29/4/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसला होकर दाखिल दफतर हो।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा